कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून
तपोवन रोड निकट दूरदर्शन केन्द्र रायपुर रोड देहरादून।

फोन /फैक्स : 0135–2789747

पत्रांक 609 /ग्रा0नि0वि0/निविदा सूचना– 07/2015–2016 दिनांक 30/9/15

–: निविदा सूचना :–

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से विभाग में सिविल निर्माण कार्यो हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यो की मुहरबन्द निविदा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून के कार्यालय में दिनांक 17.10.2015 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 2.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधीकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अहोस्ताक्षरी या मनोनीत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इन कार्यो की निविदाएं दिनांक 16.10.2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक परिमण्डल कार्यालय देहरादून में बेची जायेगी। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी/प्राक्कलन/रेखाचित्र एवं विभागीय शर्ते आदि किसी भी कार्य दिवस में इस कर्यालय अथवा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी के कार्यालय में देखी जा सकती है।

क0 सं0	कार्य का नाम	जंनपद/ विकास खण्ड	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ टी0टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैद्यता	ठेकेदार हेतु श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मत्स्य प्रक्षेत्र गंगोरी उत्तरकाशी का पुर्ननिर्माण ।	उत्तरकाशी/ भटवाड़ी	1,25,000.00	2000.00 + 13.5% VAT.	06 माह	45 दिन	"बी" एवं उच्च श्रेणी

–:निविदा की शर्तेः–

1. सशर्त/अपूर्ण निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. बिना धरोहर धनराशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा में अंकित कार्य की मदों की मात्रा परिस्थितिनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर की सावधि पास बुक/राष्ट्रीयकृत/शैडयूल बैक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून के नाम बंधक हो, मान्य होगी।
5. निविदा के समय निविदा दाता को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर एक रू0 का रसीदी टिकट लगाकर निविदा दरों की वैद्यता सम्बन्धी घोषणा करनी होगी।
6. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
7. समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आयकर/व्यापार कर/रायल्टी एवं अन्य कटौतियॉ ठेकेदार के बीजकों से की जायेगी।
8. सफल निविदा दाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर निविदा स्वीकृति पत्र में दी गयी शर्तो के तहत अनुबन्ध करने हेतु उपस्थित होना होगा। अथवा जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत की जाने वाली निविदा के अनुबन्ध गठन पर शा0दे0सं0–120/III(2)–2014/20(सामान्य)/2011 दि0 08.01.2014 द्वारा निर्गत जी0पी0डब्लू.–9 की शर्तो के अनुरूप कार्यपूर्ति/अतिरिक्त कार्य पूर्ति गारन्टी धनराशि तथा जमानत धनराशि की कटौती की जायेगी।
10. निविदा में दी गयी दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी।

11. विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने के पात्र होगे। निविदा खरीदतें समय ठेकेदार/उसके अधिकृत प्रतिनिधि को विभाग में अधिकृत श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 2% धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैक की) जो कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून के नाम बंधक हो प्रस्तुत करने पर ही निविदा फार्म निर्गत किया जायेगा।
12. निविदा की अन्य शर्ते मैनुअल प्रपत्र–69–70/जी0पी0डब्लू–9/विभाग द्वारा गठित एम0ओ0यू0 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी।
13. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक से मंगाना चाहता हो ता वह निविदा प्रपत्र मूल्य डाक व्यय सहित भेज कर यथासमय प्राप्त कर सकते है विलम्ब से डाक प्राप्त होने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
14. प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी। आवश्यकता पडने पर टी0ए0सी0 की जॉच के उपरान्त ही ठेकेदार की जमानत धनराशि वापस की जायेगी।
15. यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते है या कार्य को स्थगित किया जाता हो तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पडेगा तथा ठेकेदार किये गये कार्य हेतु दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
16. निर्माण कार्य हेतु धनराशि किस्तों में प्राप्त होने की दशा में कार्य हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग होने के चार माह उपरान्त भी शेष धनराशि प्राप्त न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार अपने अनुबन्ध का अंतिमीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र होगा।
17. उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 किया गया है जिसमें कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है अतः अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया तो निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
18. कार्य पर विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी होगा।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– निम्नाकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,12 ई0सी0 रोड देहरादून को उक्त निविदा सूचना की पांच प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना न्यूनतम पठनीय आकार में किन्ही एक दैनिक प्रचलित हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की दिनांक 16.10.2015 से पूर्व सम्बन्धित कार्य की शेडयूल बी तैयार कर निविदा विकय हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. सहायक निदेशक, मत्स्य प्रक्षेत्र, उत्तरकाशी ।
6. कैशियर/नोटिस बोर्ड परिमण्डल कार्यालय देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून